न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।

अग्रिम जमानत आवेदन सं0–900 / 2026
हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–79 / 2025

धारा– 309(6), B.N.S. Act.

Web Copy not Official

24.04.2026 प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन आवेदक अनिश यादव की ओर से हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–79 / 2025 में गिरफ्तारी की आशंका से दाखिल किया गया है। प्रस्तुत अग्रिम जमानत आवेदन की प्रति विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर को प्राप्त है। प्रस्तुत वाद में उभय पक्षों को सुना।

संक्षेप में प्रस्तुत वाद की प्राथमिकी इस प्रकार से है कि इस वाद के सूचक द्वारा पुलिस पदाधिकारी के समक्ष फर्दबयान दिया गया कि "आज दिनांक 22.01.2025 को समय करीब 15:50 बजे सोनपुर गाय बाजार स्थित एस.बी.आई. बैक से आठ लाख रूपया लोन निकालकर घर मरम्मत करने हेतु अपने बाईक से लेकर घर आ रहा था तो समय करीब 16:05 बजे जौहरी बाजार स्थित आयुष्मान अस्पताल के सामने सड़क के उतरी लेन मे सोनपुर की ओर से एक मोटरसाईकिल पर दो व्यक्ति पीछा करते हुए आये और ओवरटेक कर मेरे मोटरसाईकिल के हैण्डिल मे टांगा झोला जिसमे आठ लाख रूपया था झपटा मारकर लेकर भाग गया। इस दौरान मेरे मोटरसाईकिल का संतुलन बिगड़ गया और मै मोटरसाईकिल सहित सड़क पर गिर गया जिससे मेरा पैर टुट गया तथा नाक, लिलाट एवं छाती पर चोट लगा।"

आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कथन किया गया कि आवेदक द्वारा पूर्व मे इस न्यायालय अथवा माननीय उच्च न्यायालय मे कोई अग्रिम जमानत आवेदन प्रस्तुत प्राथमिकी के संदर्भ मे दाखिल नही किया है। आवेदक का कोई अपराधिक इतिहास है। आवेदक प्राथमिकी का नामजद अभियुक्त नही है। आवेदक का नाम इस वाद मे स्वीकारोक्ति बयान के आधार पर आया है। आवेदक निर्दोष है तथा उपरोक्त घटना मे आवेदक का कोई संलिप्तता एवं सरोकार नही है। आगे विद्वान अधिवक्ता द्वारा आवेदक को अग्रिम जमानत देने हेतु अनुरोध किया गया।

विद्वान अपर लोक अभियोजक, वैशाली, हाजीपुर द्वारा अग्रिम जमानत आवेदन का विरोध किया गया।

न्यायालयः जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश–प्रथम सह विशेष न्यायाधीश।
वैशाली, हाजीपुर।
अग्रिम जमानत आवेदन सं0–900/2026
हाजीपुर नगर थाना कांड सं0–79/2025

अग्रिम जमानत आवेदन पर उभय पक्षो को सुना। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से स्पष्ट है कि आवेदक को भी सी.सी.टी.भी. फुटेज मे देखा गया था तथा अन्य सह अपराधीगण के द्वारा अभियुक्त की संलिप्तता बतायी गयी है। अभी तक के अनुसधान के अनुक्रम मे जैसा कि केस डायरी के कंडिका 112 मे वर्णित है आवेदक की भी सलिप्तता पायी गयी है। अतः प्रत्यक्ष आरोप एवं अपराध की गंभीरता को दृष्टिगत रखते हुए अग्रिम जमानत आवेदन अस्वीकृत किया जाता है।

- Sd -
जिला एवं अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम–
–सह–विशेष न्यायाधीश,
वैशाली, हाजीपुर।

Web Copy not Official

Date of Judgment/Order	24-04-2026
Date of Reserving Judgment/Order	24-04-2026
Uploading Date	30-04-2026
Uploaded by	Pankaj Kumar